HINDUSTAN TIMES, Delhi, 7.6.2024
Page No. 19, Size:(6.68)cms X (8.90)cms.

NHRC issues notice to Karnataka Govt calling for reports within four weeks

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo moto cognisance of a media report that a 19-year-old woman, who underwent a caesarean operation, was banished to a distant and isolated hut, as per the tradition for new mothers and menstruating women in Bisadihalli area of Tumakuru district of Karnataka. The hut did not have a bed or toilet. The Commission has issued a notice to the Chief Secretary, Government of Karnataka calling for a detailed report on the matter within four weeks.

HINDU, Delhi, 7.6.2024
Page No. 6, Size:(6.23)cms X (18.02)cms.

NHRC seeks report on 'sale of girls' as part of *Nata Pratha*

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The move follows NHRC's intervention in a complaint by the father of a minor girl.

The National Human Rights Commission (NHRC) issued notice on Thursday to the Union Ministry of Women and Child Development and the States of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat over a practice known as *Nata Pratha*. The girls in some communities of these States are sold either on stamp paper or otherwise in the name of illegal or child marriage, mostly by their own families.

Given the immoral consequences of *Nata Pratha* on women and minor girls, the Commission has called for its eradication and abolition, says a message issued by the rights body.

The States have been directed to submit a report on measures taken or proposed to be taken in this regard within eight weeks.

The Commission's directions has come following its intervention in a complaint dated July 15, 2020, by the father of a minor girl who claimed that the child was allegedly kidnapped from Rajasthan's Salamgarh area, in district Pratapgrah. Her body was found in Danpur, in the district of Banswara. "The Commission through its Investigation Division conducted a spot inquiry. It was found that the father himself sold her as part of a marriage deal to a man for ₹2.5 lakh. As part of the *Nata Pratha* deal signed by their families and witnessed by villagers on July 11, 2019, the groom paid ₹60,000 and the remaining amount was to be paid by January 10, 2020," the NHRC stated.

The commission further noted that when the groom failed to pay the remaining amount within the stipulated time, the father brought his daughter back and fixed her 'Nata' with another man for ₹32,000. The girl objected to this and went to live with her earlier husband at Gagarwa. She also complained to the Banswara SP, alleging that her father was an alcoholic and had made several attempts to fix her 'Nata' against her will with many boys to earn money and that he had also threatened to kill her. The police failed to take any action and she was found dead on June 16, 2020.

It suggested that individuals involved in forcing women into *Nata Pratha* must be prosecuted under laws relating to human trafficking and prosecuted under POCSO Act.

NHRC seeks report on 'sale of underage girls' as part of 'Nata Pratha'

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-seeks-report-on-sale-of-underage-girls-as-part-of-nata-pratha/article68259587.ece

When the groom failed to pay the remaining amount, the father brought his daughter back and fixed her 'Nata' with another man for ₹32,000. The girl objected and went to live with her earlier husband at Gagarwa

The National Human Rights Commission (NHRC) issued notices on Thursday to the Union Ministry of Women and Child Development and the States of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat over a practice known as 'Nata Pratha'.

This involves selling _ "on a stamp paper" _ or marrying off underage girls from some communities. These "sales and marriages" are usually conducted by their own families.

Given the immoral consequences of 'Nata Pratha' on women and minor girls, the Commission has called for its eradication and abolition, says a message issued by the NHRC.

Sold by father

The States have been directed to submit a report on measures taken or proposed to be taken in this regard within eight weeks.

The Commission's directions come following its intervention in a complaint dated July 15, 2020, by the father of a minor girl who claimed that the child was allegedly kidnapped from Rajasthan's Salamgarh area, in district Pratapgrah. Her body was found in Danpur, in the district of Banswada. "The Commission through its Investigation Division conducted a spot inquiry. It was found that the father himself sold her as part of a marriage deal to a man for ₹2.5 lakh. As part of the 'Nata Pratha' deal signed by their families and witnessed by villagers on July 11, 2019, the groom paid ₹60,000 and the remaining amount was to be paid by January 10, 2020," the NHRC stated.

The commission further noted that when the groom failed to pay the remaining amount within the stipulated time, the father brought his daughter back and fixed her 'Nata' with another man for ₹32,000. The girl objected to this and went to live with her earlier husband at Gagarwa. She also complained to the Banswada SP, alleging that her father was an alcoholic and had made several attempts to fix her 'Nata' against her will with many boys to earn money and that he had also threatened to kill her. The police failed to take any action on her complaint, and she poisoned herself on June 16, 2020.

Police inaction

The NHRC inquiry revealed that the father filed the complaint with the Commission alleging the kidnapping and murder of his daughter to save himself from any action

resulting from the police complaint filed by her. The Investigation Division recommended legal action against the father for selling his minor daughter and action against the police personnel of Danpur for their inaction. The NHRC spot inquiry team also suggested that the State Government should enact a law to stop the social evil of ‘Nata Pratha’.

On January 23, 2020, the Commission deputed its Special Rapporteur to inquire into the sale of girls in Rajasthan. He also suggested the urgent need to address this social evil through a multifaceted strategy as it violated basic human rights. The Commission referred the matter to the Research Division to suggest measures.

The commission’s research wing observed that the ‘Nata Pratha’ is comparable to modern forms of prostitution. Among various measures, it suggested that. besides enacting a law, individuals involved in forcing women into ‘Nata Pratha’ must be prosecuted under laws relating to human trafficking. The sale of minor girls should be prosecuted under the POCSO Act. It also suggested setting up a group at the village level to register cases of ‘Nata Pratha’ in addition to building awareness and providing education and employment to improve the economic and social status of girls and women.

DEVDISCOURSE, Online, 7.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Calls for Eradication of 'Nata Pratha'

The NHRC has called for the eradication of the 'Nata Pratha' tradition in Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat. This practice involves selling girls for marriage with no legal sanctity. The commission urges immediate action and legal reforms to protect the rights of women and minor girls.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2974155-nhrc-calls-for-eradication-of-nata-pratha

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a stern call for the abolition of the 'Nata Pratha' practice. This tradition, prevalent in parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat, allegedly involves selling girls for marriages devoid of legal recognition.

The commission has issued notices to the Union Ministry of Women and Child Development and the governments of the four states, demanding reports on the measures taken to counter this social evil within eight weeks.

Following its investigation into multiple complaints, including the tragic case of a minor girl in Rajasthan, the NHRC has recommended urgent legal action and comprehensive strategies to combat this violation of human rights.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

AMAR UJALA, Delhi, 7.6.2024
Page No. 15, Size:(3.24)cms X (3.66)cms.

नाता प्रथा उन्मूलन के लिए केंद्र समेत चार राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया। आयोग ने इस बुरी परंपरा को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया। नाता प्रथा के तहत, राजस्थान के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के इलाकों में कुछ समुदायों में लड़कियों को कथित तौर पर स्टांप पेपर पर या किसी और तरह से शादी के नाम पर बेचा जाता है, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। एजेंसी

NHRC issues notice to four states over Nata Pratha

https://myind.net/Home/viewArticle/nhrc-issues-notice-to-four-states-over-nata-pratha

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to four states—Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat—following a 2020 case. In the case, a father reportedly sold his daughter for 2.5 lakhs. Subsequently, upon discovering her dead body, he filed a complaint with the commission.

The NHRC has voiced grave concerns over the social practice known as Nata Pratha, where girls are reportedly sold by their family members disguised as marriages in regions across Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat. The commission has urged the Union Ministry of Women and Child Development and the concerned states to submit a report detailing actions taken within eight weeks.

In a statement, the NHRC referred to a 2020 case where a father alleged that his daughter had been kidnapped from Salamgarh in Rajasthan and later found dead in Danpur, Banswara. The commission's investigation revealed that the father had sold his daughter for ₹2.5 lakhs under the practice of Nata Pratha on July 11, 2019.

However, the groom only paid ₹60,000 and failed to settle the remaining amount. Subsequently, the father repurchased his daughter and arranged another marriage for her with a different man for ₹32,000.

The statement further reveals that the girl had objected to her father's actions and returned to her husband. She lodged a complaint with the SP Banswara, alleging that her father, who struggled with alcoholism, had forcibly arranged multiple Nata marriages for financial gain and had threatened her life.

The NHRC emphasised that the police had not acted on the complaint, resulting in the girl taking her own life on June 16, 2020, by consuming poison. It was noted that the father filed a complaint to divert attention from the police complaint lodged against him by his daughter.

The commission's investigative division recommended stringent action against the father for selling his minor daughter and against the Danpur police personnel for their failure to promptly act on the minor's complaint, which could have potentially prevented her suicide.

The NHRC also asserted that "Nata Pratha is akin to modern forms of prostitution" and advocated for prosecuting it under human trafficking laws and relevant provisions of the POCSO Act for the sale of minor girls.

There is ongoing debate among researchers regarding the true nature of Nata Pratha in Rajasthan. Meenu Walter, an Associate Professor at SPC Government College Ajmer, Rajasthan, highlighted in her research titled "Nata Pratha, Women's Selection or Women's Exploitation" that women's consent is never sought or

considered in this custom. Initially practiced for married or widowed individuals, it has evolved to include single people as well. Women involved in these arrangements are often compelled to abandon their children, who subsequently endure neglect, physical, and psychological abuse.

NHRC issues notice to 4 states over 'Nata pratha' practice

https://www.newsbytesapp.com/news/india/nhrc-takes-serious-view-of-nata-pratha/story

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat in response to a 2020 case involving the controversial social practice of Nata Pratha.The practice involves families selling their daughters under the guise of marriage.The NHRC expressed serious concern over this issue and requested an action taken report (ATR) from the Union Ministry of Women and Child Development and the concerned states within eight weeks.

Tragic case sparks NHRC investigation into 'Nata pratha'

The NHRC issued the notice after a 2020 case in which a father sold his daughter for ₹2.5 lakh under Nata Pratha was brought to its attention.Initially, the father filed a complaint alleging his daughter was kidnapped in Salamgarh, Rajasthan.However, the NHRC's investigation revealed that he had sold his daughter in July 2019.The groom paid only ₹60,000 of the agreed amount, which led the father to fix her Nata to another man for ₹32,000.

Victim's resistance and tragic end amidst police inaction

The girl resisted her father's arrangement and returned to her husband. She had also lodged a complaint with the SP Banswara.She alleged that her alcoholic father had arranged her *Nata* against her will with multiple men for money and had threatened to kill her.Despite the complaint, no action was taken by the police.The girl subsequently committed suicide on June 16, 2020, by consuming poison.

NHRC calls for strict action, compares 'Nata pratha' to prostitution

The NHRC's investigation division recommended strict action against the father for selling his minor daughter and against the Danpur police personnel for failing to take timely action on the minor's report.The commission stated that "Nata Pratha is comparable to modern forms of prostitution.""Nata Pratha must be prosecuted under laws relating to human trafficking and the relevant provisions of the POCSO Act for selling minor girls," it added.

DAINIK JAGRAN, Delhi, 7.6.2024
Page No. 4, Size:(13.77)cms X (7.51)cms.

फर्जी मुठभेड़ पर स्पेशल सेल से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस के लिए कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 16 मई की रात को फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अजय की मौत के मामले में स्पेशल सेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दस्तावेज के साथ विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली पुलिस को छह सप्ताह के अंदर आयोग को दस्तावेज सौंपने होंगे।

आयोग ने पुलिस उपायुक्त (बाहरी-उत्तरी) और जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) को भी नोटिस जारी किया है, जो मामले में अपनी-अपनी जांच कर रहे हैं। यह मामला तब विवादास्पद हो गया, जब आरोप लगाया गया कि अजय को राजस्थान के माउंट आबू से स्पेशल सेल की "काउंटर इन्वेस्टिगेशन यूनिट" (सीआईयू) के पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ में मार गिराने से तीन

अजय

दिन पहले अगवा किया था। इसके बाद उसे उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक सुनसान जगह पर लाया गया। यहां उसे पहले शराब पिलाई गई और फिर उसे गोली मार दी गई। हालांकि, स्पेशल सेल के अधिकारी ने इस तरह के आरोपों से इन्कार किया है और दावा किया है कि मुठभेड़ "वास्तविक" थी और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

ये देने होंगे दस्तावेज : सूत्रों ने बताया कि आयोग ने मुठभेड़ से पहले और बाद में पुलिसकर्मियों के आने-जाने के समय की सामान्य डायरी प्रविष्टि जैसे विवरण मांगे हैं। उन्होंने मुठभेड़ में कथित रूप से घायल हुए कर्मियों का चिकित्सा-कानूनी प्रमाण पत्र भी मांगा है। वाहनों का जीपीएस डाटा भी मांगा है। एक अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी ने घटनास्थल का साइट प्लान, मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों और मृतक की स्थिति और पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिकार्डिंग जमा करनी होगी। एनएचआरसी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट भी चाहता है। अजय के परिवार के बयानों के अलावा, पुलिस को अजय के रिश्तेदार द्वारा फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाने वाली शिकायत पर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट भी देनी होगी। एनएचआरसी ने स्वतंत्र गवाहों के विवरण और बयान और जांच की स्थिति मांगी है।

जानिए क्या है पूरा मामला

अजय हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया के पड़ोस में रहता था। पुलिस ने दावा किया है कि वह हरियाणा में एक हत्या के अलावा पश्चिमी दिल्ली में सेकेंड हैंड कार डीलर की दुकान पर गोलीबारी की वारदात करने में भी शामिल था। भाऊ और उसके साथियों ने इंटरनेट मीडिया हैंडल के जरिये एक बयान जारी कर आरोप लगाया था कि अजय की हत्या की गई है। पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाई है। गौरतलब है कि यह मुठभेड़ रोहिणी के सेक्टर-29 में एक सुनसान जगह पर काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से गई थी, जिसमें अतिरिक्त डीसीपी मनीषी चंद्रा, एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। मुठभेड़ के बाद विशेष आयुक्त आरपी उपाध्याय भी मौके पर गए थे। इस वक्त पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा इस मामले में की जा रही जांच की निगरानी कर रहे हैं। मौके पर एक होंडा सिटी कार मिली थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T012UP2024 है, जो अजय की मानी जा रही है। पुलिस की स्कार्पियो एसयूवी क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसके सामने की विंडशील्ड पर गोलियों के निशान और साइड विंडो का कांच टूटा हुआ था। पुलिस को घटनास्थल पर 15 खाली कारतूस के खोखे और एक नौ एमएम की पिस्टल मिली थी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

देश की खबरें | एनएचआरसी ने 'नाता प्रथा' के उन्मूलन का आह्वान किया, सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

https://hindi.latestly.com/agency-news/nhrc-calls-for-abolition-of-nata-pratha-seeks-action-taken-report-from-governmentr-2187868.html

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 'नाता प्रथा' को समाप्त किए जाने का बृहस्पतिवार को आह्वान किया और इस कुप्रथा को लेकर केंद्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया।

नयी दिल्ली, छह जून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 'नाता प्रथा' को समाप्त किए जाने का बृहस्पतिवार को आह्वान किया और इस कुप्रथा को लेकर केंद्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया।

'नाता प्रथा' के तहत, राजस्थान के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के इलाकों में कुछ समुदायों में लड़कियों को कथित तौर पर 'स्टांप पेपर' पर या ऐसे विवाह के नाम पर ''बेचा'' जाता है, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर 'नाता प्रथा' के ''अनैतिक एवं दुराचारी परिणामों'' को देखते हुए आयोग ने इसके उन्मूलन का आह्वान किया है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और चार राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

उन्हें इस संबंध में उठाए गए कदमों या प्रस्तावित कदमों पर आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

उसने कहा कि आयोग ने ये निर्देश 15 जुलाई, 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा की गयी शिकायत की जांच के मद्देनजर दिए। पिता ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था और इस घटना के बाद लड़की का शव राज्य के बांसवाड़ा जिले के दानपुर में मिला था।

आयोग ने कहा कि उसने अपने अन्वेषण प्रभाग के माध्यम से घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की जिससे पता चला कि लड़की के पिता ने ही 11 जुलाई, 2019 को गांव वालों की मौजूदगी में 'नाता प्रथा' के अंतर्गत परिवार वालों की सहमति से एक खरीद सौदे के तहत अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपये में एक व्यक्ति को शादी के लिए बेच दिया था।

बयान में कहा गया कि दूल्हे द्वारा 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका था और उसे शेष राशि 10 जनवरी, 2020 तक चुकानी थी लेकिन जब वह निर्धारित समय के भीतर बाकी रकम नहीं चुका पाया तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया और उसने 32,000 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा कर दिया।

इसमें कहा गया कि लड़की ने इस पर आपत्ति जताई और वह अपने पहले पति के साथ रहने के लिए गागरवा चली गयी।

बयान में कहा गया, '' लड़की ने बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के समक्ष अपने पिता के खिलाफ शिकायत भी की जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका पिता शराबी है और पैसे कमाने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ कई लड़कों से उसका सौदा करने की कोशिश कर चुका है। इसके अलावा,

पिता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और 16 जून 2020 को उसने (लड़की ने) जहर खाकर आत्महत्या कर ली।"

आयोग ने बताया कि एनएचआरसी की जांच से पता चला कि पिता ने अपने खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत पर किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने कहा कि अन्वेषण प्रभाग ने नाबालिग बेटी को बेचने के आरोप में लड़की के पिता के खिलाफ और लड़की की शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर दानपुर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

एनएचआरसी ने नाता प्रथा के उन्मूलन का किया आह्वान

नई दिल्ली, 6 जून (एजेंसी) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 'नाता प्रथा' को समाप्त किए जाने का वीरवार को आह्वान किया और इस कुप्रथा को लेकर केंद्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की सरकारों को नोटिस जारी किया। 'नाता प्रथा' के तहत, राजस्थान के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के आसपास के इलाकों में कुछ समुदायों में लड़कियों को कथित तौर पर 'स्टांप पेपर' पर या ऐसे विवाह के नाम पर बेचा जाता है, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती।

केंद्र को नोटिस

NHRC: एनएचआरसी की 'नाता प्रथा' को खत्म करने की अपील, सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-calls-for-eradication-of-nata-pratha-seeks-action-report-from-government-2024-06-06

आयोग ने इसे खत्म करने की अपील की और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत चार राज्यों , राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जहां ये कुप्रथा चलन में है, उन्हें नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा को खत्म करने की अपील की है और केंद्र सरकार और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। नाता प्रथा के तहत कुछ समुदायों की लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर पर या फिर शादी के नाम पर बेच दिया जाता है, लेकिन इस शादी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

आयोग ने आठ हफ्तों में मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि नाता प्रथा महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अनैतिक कुप्रथा है। आयोग ने इसे खत्म करने की अपील की और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत चार राज्यों , राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात को, जहां ये कुप्रथा चलन में है, उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस पर आठ हफ्तों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आयोग ने एक शिकायत के चलते यह निर्देश दिए हैं।

इस मामले के आधार पर आयोग ने की कार्रवाई

दरअसल 15 जुलाई 2020 को राजस्थान में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के पिता ने दावा किया था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सलामगढ़ में उसकी बेटी को अगवा किया गया और बांसवाड़ा के दानपुर में उसका शव मिला। आयोग ने इस मामले की जांच की तो पाया कि लड़की के पिता ने ही उसे 11 जुलाई 2019 को ढाई लाख रुपये में नाता प्रथा के तहत बेच दिया था। लड़के ने समझौते के तहत 60 हजार रुपये दिए थे और बाकी 10 जनवरी 2020 को देने की बात कही थी। जब लड़का तय समय पर पैसे नहीं दे पाया तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया।

आरोप है कि पिता ने किसी दूसरे शख्स के साथ अपनी बेटी का सौदा कर दिया, लेकिन बेटी अपने पहले पति के साथ रहना चाहती थी और बेटी ने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। लड़की ने शिकायत में कहा था कि उसका पिता शराबी है और उसने मर्जी के खिलाफ नाता प्रथा के तहत कई लड़कों के साथ उसका सौदा किया। लड़की ने अपनी जान लेने की भी धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और लड़की ने जहर खाकर जान दे दी। ऐसे में पिता ने अपने आप को बचाने के लिए बेटी के अपहरण और हत्या की झूठी शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर आयोग ने इस कुप्रथा को खत्म करने की अपील की और सरकारों से जवाब मांगा है।

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 7.6.2024
Page No. 2, Size:(2.92)cms X (9.11)cms.

फर्जी मुठभेड़ पर स्पेशल सेल से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस के लिए कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 16 मई की रात को फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अजय की मौत के मामले में स्पेशल सेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दस्तावेज के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली पुलिस को छह सप्ताह के अंदर आयोग को दस्तावेज सौंपने होंगे।

आयोग ने पुलिस उपायुक्त (बाहरी-उत्तरी) और जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) को भी नोटिस जारी किया है, जो मामले में अपनी-अपनी जांच कर रहे हैं। यह मामला तब विवादास्पद हो गया, जब आरोप लगाया गया कि अजय को राजस्थान के माउंट आबू से स्पेशल सेल की "काउंटर इन्वेस्टिगेशन यूनिट" (सीआईयू) के पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ में मार गिराने से तीन दिन पहले अगवा किया था। इसके बाद उसे उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक सुनसान जगह पर लाया गया। यहां उसे पहले शराब पिलाई गई और फिर गोली मार दी गई। हालांकि, स्पेशल सेल के अधिकारी ने आरोपों से इन्कार किया है और दावा किया है कि मुठभेड़ "वास्तविक" थी ।

‘Encounter’ death: Delhi Police's special cell gets NHRC notice

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/encounter-death-delhi-polices-special-cell-gets-nhrc-notice/articleshow/110763432.cms

NHRC serves notice to Delhi Police's Special Cell over alleged fake encounter resulting in Ajay's death. Police must submit documents within six weeks. The incident is under investigation.

NEW DELHI: In mounting trouble for the Delhi Police's Special Cell, National Human Rights Commission (NHRC) is learnt to have served a notice and sought documents and reports in connection with the death of a 24-year-old man named Ajay who was killed in a 'fake encounter' on the night of May 16.

Delhi Police will have to submit the documents to the commission in six weeks. The commission has served a notice to the deputy commissioner of police (outer-north) and district magistrate (northwest) who are carrying out their respective investigation into the case. The killing became controversial after it was alleged that Ajay was abducted by policemen of the "counter investigation unit" (CIU) of the special cell from Mount Abu in Rajasthan, brought to an isolated spot in north-west Delhi, given liquor and shot in cold blood. The cell has denied the allegations and claimed that the encounter was "genuine" and they had fired in "self-defence".

The commission, sources said, had asked for details like the general diary entry of the departure and arrival time of policemen before and after the encounter. They have also sought the medico-legal certificate of the personnel allegedly "injured" in the encounter.
"NHRC has sought the site plan of the scene of occurrence, position of policemen and the deceased during the encounter and the post mortem and inquest reports. Police need to submit the recording of the post mortem," an official said. NHRC also wants the magisterial inquiry report.

Besides statements of Ajay's family, police need to provide the commission with an action-taken report on the complaint by Ajay's relative, alleging a fake encounter. NHRC has sought the details and statements of independent witnesses and status of the probe.
Ajay was from Ritoli village in Rohtak, Haryana. He was said to be a neighbour of a gangster, Himanshu alias Bhau Ritolia. Police have claimed he was involved in a murder in Haryana, besides an incident of firing at a second-hand car dealer's shop in west Delhi.
Bhau and his associates had released a statement through social media handles and alleged that Ajay was killed in a fake encounter. The encounter was carried out at an isolated location in Rohini's Sector 29 by the "counter-intelligence unit" comprising additional DCP Manishi Chandra, ACP Rahul Vikram, inspector Nishant Dahiya and others. Special commissioner R P Upadhyay had also gone to the spot after the encounter. Police commissioner Sanjay Arora is monitoring the probe.
A Honda City with registration number T012UC, believed to be Ajay's, was found at

the scene. The police's Scorpio SUV was found damaged with "bullet marks on the front windshield" and broken glass on the side window. Police found 15 empty cartridge shells and a 9mm pistol at the scene.

दिल्ली पुलिस की 'काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट' कटघरे में, एनएचआरसी ने भेजा नोटिस, फर्जी मुठभेड़ का आरोप

https://www.crimetak.in/top-news/story/delhi-police-special-cell-counter-intelligence-unit-nhrc-notice-latest-news-updates-3008727-2024-06-06

अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi Police Special Cell 'Fake Encounter': दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की "काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट" (CIU) कठघरे में है। आरोप लगा है फर्जी एनकाउंटर करने का। इसको लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने तमाम जानकारियां मांगी है। आयोग ने Outer-North के डीसीपी और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है। इसको लेकर **स्पेशल सीपी आर पी उपाध्याय** ने **Crime Tak** से कहा, 'NHRC इस तरह के मामलों को लेकर हमेशा रिपोर्ट मांगता है। हम इस मामले में भी जांच कर पूरी रिपोर्ट देंगे।'

ये मुठभेड़ 16 मई की रात को हुई थी। इसमें 24 साल के अजय नामक बदमाश की मौत हो गई थी। आयोग ने दिल्ली पुलिस को छह हफ्ते में दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया है। आयोग ने पुलिस उपायुक्त (बाहरी-उत्तरी) और जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) को नोटिस जारी किया है, जो मामले की अपनी-अपनी जांच कर रहे हैं।

क्या आरोप है सेल के अधिकारियों पर

आरोप है कि अजय को राजस्थान के माउंट आबू से Special Cell की "काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट" (CIU) के पुलिसकर्मियों ने अगवा किया था। इसके बाद वो उसे दिल्ली में एक सुनसान जगह पर ले गए। यहां उसे पहले शराब पिलाई गई इसके बाद उसे गोली मार दी गई। हालांकि सेल के अधिकारियों का कहना है कि ये मुठभेड़ फर्जी नहीं थी।

क्या-क्या दस्तावेज मांगे हैं आयोग ने?

आयोग ने मुठभेड़ से पहले और बाद में पुलिसकर्मियों के आने-जाने के समय की सामान्य डायरी (General Diary) समेत तमाम रिकॉर्ड मांगे हैं। उन्होंने मुठभेड़ में कथित रूप से घायल हुए कर्मियों का चिकित्सा-कानूनी प्रमाण पत्र भी मांगा है। एनएचआरसी ने घटनास्थल का साइट प्लान, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संबंधित जांच रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर गवाहों के बयानों की कॉपी भी मांगी गई है।

कौन था अजय?

अजय हरियाणा के रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया का पड़ोसी था। पुलिस ने दावा किया है कि वह हरियाणा में एक हत्या के अलावा पश्चिमी दिल्ली में कार डीलर की दुकान पर गोलीबारी की घटना में भी शामिल था।

भाऊ और उसके साथियों ने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए एक बयान जारी किया था और आरोप लगाया था कि अजय की हत्या फ़र्ज़ी मुठभेड़ में की गई थी। यह मुठभेड़ रोहिणी के सेक्टर 29 में एक सुनसान जगह पर काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की गई थी जिसमें **डीसीपी मनीषी चंद्रा, एसीपी**

राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और अन्य शामिल थे। मुठभेड़ के बाद विशेष आयुक्त आर पी उपाध्याय भी मौके पर गए थे।

मौके पर एक होंडा सिटी मिली थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T012UP 2024C है, जो अजय की मानी जा रही है। पुलिस की स्कॉर्पियो एसयूवी क्षतिग्रस्त पाई गई थी, जिसके सामने की विंडशील्ड पर गोलियों के निशान और साइड विंडो का कांच टूटा हुआ था। पुलिस को घटनास्थल पर 15 खाली कारतूस के खोल और एक 9 एमएम की पिस्तौल मिली थी।

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 7.6.2024
Page No. 19, Size:(5.85)cms X (10.35)cms.

NHRC, India takes a serious view of 'Nata Pratha'

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken a serious view of social evil in the form of 'Nata Pratha' under which the girls in some communities are sold either on a stamp paper or otherwise in the name of marriage having no legal sanctity in parts of Rajasthan and the adjoining areas in the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat. The Commission has called for its eradication and abolition and issued notices accordingly to the concerned authorities to provide a report within eight weeks.

NHRC calls for eradication of 'Nata Pratha', seeks action report from government

https://www.deccanherald.com/india/nhrc-calls-for-eradication-of-nata-pratha-seeks-action-report-from-government-3055801

Under 'Nata Pratha', girls in some communities are allegedly 'sold' either on a stamp paper or otherwise in the name of marriage having no legal sanctity in parts of Rajasthan and the adjoining areas in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat.

New Delhi: The NHRC on Thursday called for eradication of 'Nata Pratha' and issued notice to the Centre and the governments of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat over the evil tradition.

Under 'Nata Pratha', girls in some communities are allegedly 'sold' either on a stamp paper or otherwise in the name of marriage having no legal sanctity in parts of Rajasthan and the adjoining areas in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat.

The National Human Rights Commission in a statement said that given the 'unethical and immoral consequences' of the 'Nata Pratha' on women and minor girls, the commission has called for its eradication and abolition and issued notices to the Union Ministry of Women and Child Development and the four state governments.

They have been directed to submit a report on the measures taken or proposed to be taken in this connection within eight weeks, it said.

The commission's directions have come following its intervention in a complaint dated July 15, 2020 from the father of a minor girl who he claimed was allegedly kidnapped in Rajasthan's Salamgarh, district Pratapgrah and her body was found in Danpur, district Banswada in the state. The commission through its Investigation Division conducted an on-spot inquiry into the case, it said.

It was found that the father of the girl himself had sold her for marriage to a man for Rs 2.5 lakh under a purchase deal signed by their families under 'Nata Pratha' in the presence of the villagers on July 11, 2019. The groom paid Rs 60,000 and the remaining amount was to be paid by January 10, 2020, the statement said.

However, when he failed to pay the remaining amount within the stipulated time, the father brought his daughter back and fixed her 'Nata' with another man for Rs 32,000. The girl objected to this and went to live with her earlier husband at Gagarwa, the statement said.

"She also made a complaint with the Superintendent of Police (SP), Banswada against her father, alleging that he was an alcoholic and had made several attempts to fix her 'Nata' against her will with many boys to earn money and that he had also threatened to kill her. The police failed to take any action on her complaint and she committed suicide on June 16, 2020 by consuming poison," it added.

The NHRC inquiry revealed that the father had filed the complaint in the commission alleging the kidnapping and murder of his daughter to save himself from any action on the police complaint filed by her against him. The Investigation Division

suggested legal action against the father of the girl for selling her minor daughter and action against the police personnel of Danpur for their inaction on the girl's complaint, it said.

The NHRC on-spot inquiry team also suggested that the state government should enact a law to stop the social evil of 'Nata Pratha'.

Thereafter on January 23, 2020, the commission deputed its Special Rapporteur to make an exhaustive inquiry into the matter of selling girls in Rajasthan. He also suggested an urgent need to address this social evil through a multi-faceted strategy as it violated basic human rights. The commission referred the matter to the Research Division also to suggest the measures in this regard, it said.

The research wing observed that the 'Nata Pratha' is comparable to 'modern forms of prostitution'. Among various measures, it suggested that besides enacting a law, the individuals involved in forcing women to go for 'Nata Pratha' must be prosecuted under laws relating to human trafficking and for selling the minor girls under the relevant provision of the POCSO Act to check this menace, the statement said.

It also suggested setting up a board or a group at the village level to register the cases of 'Nata Pratha' in addition to building awareness and providing education and employment to improve the economic and social status of girls and women.

The commission shared these inputs with the Union Ministry of Women and Child Development on March 18 which also opined that 'Nata Pratha' seems derogatory to women, and needs to be abolished, it added.

NHRC takes serious view of 'Nata Pratha', issues notice to 4 states

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-takes-serious-view-of-nata-pratha-issues-notice-to-4-states-101717662288618.html

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to four states—Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. This notice follows a 2020 case in which a father sold his daughter for 2.5 lakhs and later filed a complaint with the commission upon discovering her dead body.

The NHRC has expressed serious concern over the social practice of Nata Pratha, where girls are sold by their family members under the guise of marriage in parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat. The commission has requested the Union Ministry of Women and Child Development and the concerned states to present an action taken report within eight weeks.

The statement cites the 2020 case where a father alleged that his daughter was kidnapped in Rajasthan's Salamgarh and found her dead body in Danpur, Banswara. The commission's investigation revealed that the father had sold his daughter for ₹2.5 lakhs under Nata Pratha on July 11, 2019. However, the groom paid only ₹60,000 and failed to pay the remaining amount. The father then bought his daughter back and fixed her Nata to another man for ₹32,000.

The statement further mentions that the girl objected to her father and returned to her husband. She filed a complaint with the SP Banswara, alleging that her father, an alcoholic, had arranged her Nata against her will with multiple men to earn money and had also threatened to kill her.

The NHRC highlighted that the police failed to take any action, leading to the girl committing suicide on June 16, 2020, by consuming poison. The father filed a complaint to evade the police complaint filed by his daughter against him.

The commission's investigation division recommended strict action against the father for selling his minor daughter and against the Danpur police personnel for failing to take timely action on the minor's report, which might have prevented her suicide.

The NHRC also stated, "Nata Pratha is comparable to modern forms of prostitution. Nata Pratha must be prosecuted under laws relating to human trafficking and the relevant provisions of the POCSO Act for selling minor girls."

There are arguments over researchers over the true nature of the Nata Pratha, in Rajasthan. Meenu Walter, Associate Professor at SPC Government College Ajmer, Rajasthan, noted in her research titled Nata Pratha: Women's Selection or Women's Exploitation, "Women's consent is never taken or even considered in this custom. The ancient practice was initially for married or widowed men and women but has evolved to include single people as well. Women who go with another man are forced to abandon their children, who later face neglect, and physical and psychological abuse."

Delhi News: फर्जी मुठभेड़ मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एनएचआरसी का नोटिस, ये है पूरा मामला

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-nhrc-notice-to-special-cell-of-delhi-police-in-fake-encounter-case-this-is-the-whole-matter-23733731.html

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का नोटिस मिला है। दरअसल 16 मई की रात दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह के बदमाश अजय को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। भाऊ और उसके सहयोगियों ने इंटरनेट मीडिया हैंडल के जरिए मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताया था।

राकेश, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) की काउंटर इंटेलिजेंस के लिए कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 16 मई की रात को 'फर्जी मुठभेड़' में मारे गए 24 वर्षीय अजय नामक व्यक्ति की मौत के मामले में स्पेशल सेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दस्तावेज के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली पुलिस को छह सप्ताह दिया गया समय

दिल्ली पुलिस को छह सप्ताह के अंदर आयोग को दस्तावेज सौंपने को कहा गया है। आयोग ने पुलिस उपायुक्त (बाहरी-उत्तरी) और जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) को भी नोटिस जारी किया है, जो मामले की अपनी-अपनी जांच कर रहे हैं। यह मामला तब विवादास्पद हो गई, जब आरोप लगाया गया कि अजय को राजस्थान के माउंट आबू से स्पेशल सेल की 'काउंटर इन्वेस्टिगेशन यूनिट' (सीआईयू) के पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ में मार गिराने से तीन दिन पहले अगवा किया था।

स्पेशल सेल का दावा आत्मरक्षा में चलाई गोली

उसके बाद उसे उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक सुनसान जगह पर लाया गया। वहां उसे पहले शराब पिलाई गई और फिर उसे गोली मार दी गई। हालांकि स्पेशल सेल के अधिकारी ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि मुठभेड़ वास्तविक थी और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

एनएचआरसी ने मांगें ये सभी दस्तावेज

सूत्रों ने बताया कि आयोग ने मुठभेड़ से पहले और बाद में पुलिसकर्मियों के आने-जाने के समय की सामान्य डायरी प्रविष्टि जैसे विवरण मांगे हैं। उन्होंने मुठभेड़ में कथित रूप से घायल हुए कर्मियों का चिकित्सा-कानूनी प्रमाण पत्र भी मांगा है। वाहनों का जीपीएस डाटा भी मांगा है। एक अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी ने घटनास्थल का साइट प्लान, मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों और मृतक की स्थिति और पोस्टमार्टम तथा जांच रिपोर्ट मांगी है।

पुलिस को पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग जमा करनी होगी। एनएचआरसी मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट भी चाहता है। अजय के परिवार के बयानों के अलावा, पुलिस को अजय के रिश्तेदार द्वारा फर्जी मुठभेड़ का

आरोप लगाने वाली शिकायत पर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट भी देनी होगी। एनएचआरसी ने स्वतंत्र गवाहों के विवरण और बयान तथा जांच की स्थिति मांगी है।

अजय हरियाणा के रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया का पड़ोसी था। पुलिस ने दावा किया है कि वह हरियाणा में एक हत्या के अलावा पश्चिमी दिल्ली में सेकेंड हैंड कार डीलर की दुकान पर गोलीबारी की घटना में भी शामिल था। भाऊ और उसके साथियों ने इंटरनेट मीडिया हैंडल के जरिए एक बयान जारी किया था और आरोप लगाया था कि अजय की हत्या फर्जी मुठभेड़ दिखाकर की गई।

यह मुठभेड़ रोहिणी के सेक्टर 29 में एक सुनसान जगह पर 'काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट' द्वारा की गई थी जिसमें अतिरिक्त डीसीपी मनीषी चंद्रा, एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और अन्य शामिल थे। मुठभेड़ के बाद विशेष आयुक्त आर पी उपाध्याय भी मौके पर गए थे। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा जांच की निगरानी कर रहे हैं।

मौके पर एक होंडा सिटी कार मिली थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T012UP 2024C है, जो अजय की मानी जा रही है। पुलिस की स्कॉर्पियो एसयूवी क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसके सामने की विंडशील्ड पर गोलियों के निशान और साइड विंडो का कांच टूटा हुआ था। पुलिस को घटनास्थल पर 15 खाली कारतूस के खोल और एक 9 एमएम की पिस्टल मिली थी।

आईपीएस की तैनाती के बाद से सेल का अस्तित्व हो रहा कमजोर

पिछले कुछ सालों से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सेल की उल्टी गिनती पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के समय से शुरू हो गई, जब इन्होंने क्राइम ब्रांच की तरह सेल का भी विस्तार कर कई ब्रांच बना दिया और इस यूनिट में आईपीएस की तैनाती कर दी। शुरू से इस यूनिट में दानिप्स की तैनाती इसलिए की जाती थीं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक इस यूनिट में रखा जाता था। उनके विशाल नेटवर्क होते थे। आईपीएस की तैनाती किए जाने से सेल अपना अस्तित्व खोते जा रही है।

IN SAMACHAR, Online, 7.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC ने 'नाता प्रथा' के नाम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के कुछ समुदायों की लड़कियों को शादी के नाम पर बेचा जाता है, पर गंभीर रुख अपनाया

https://insamachar.com/nhrc-took-a-serious-view-on-the-sale-of-girls-of-some-communities-of-rajasthan-madhya-pradesh-uttar-pradesh-and-gujarat-in-the-name-of-marriage-in-the-name-of-nata-pratha/#google_vignette

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने "नाता प्रथा" के रूप में फैली सामाजिक बुराई जिसके तहत कुछ समुदायों में लड़कियों को राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा इससे सटे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के आस-पास के इलाकों में बिना किसी कानूनी वैधता के या तो स्टांप पेपर पर या शादी के नाम पर बेचा जाता है, को गंभीरता से लिया है। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर 'नाता प्रथा' के अनैतिक और दुराचारी परिणामों को देखते हुए, आयोग ने इसके उन्मूलन और इसे रोकने पर जोर दिया, तदनुसार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें आठ सप्ताह के भीतर इस संबंध में किए गए या प्रस्तावित उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने ये निर्देश 15 जुलाई, 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा की गयी शिकायत में हस्तक्षेप करने के दौरान दिए, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि राजस्थान के सलामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था और इस घटना के बाद लड़की का शव राज्य के दानपुर, जिला बांसवाड़ा में मिला था। आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग के माध्यम से घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। जांच में पता चला कि लड़की के पिता ने ही 11 जुलाई, 2019 को गांव वालों की मौजूदगी में 'नाता प्रथा' के अंतर्गत परिवार वालों की सहमति से एक खरीद सौदे के तहत अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपये में एक व्यक्ति को शादी के लिए बेच दिया था। दूल्हे द्वारा 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका था और शेष राशि 10 जनवरी, 2020 तक चुकानी थी।

लेकिन, जब वह निर्धारित समय के भीतर बाकी रकम नहीं चुका पाया तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया और 32 हजार रुपये में दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा कर दिया। लड़की ने इस पर आपत्ति जताई और अपने पहले पति के साथ रहने के लिए गागरवा चली गयी। उसने बांसवाड़ा के एसपी के समक्ष अपने पिता के खिलाफ शिकायत भी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिता शराबी है और पैसे कमाने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ कई लड़कों से उसका सौदा करने की कोशिश कर चुका है साथ ही पिता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और 16 जून 2020 को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

एनएचआरसी द्वारा की गई जांच से पता चला कि पिता ने अपने खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत पर किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आयोग में बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अन्वेषण प्रभाग ने लड़की के पिता के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को बेचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने और लड़की की शिकायत पर पुलिसकर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने के लिए दानपुर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया। घटना स्थल पर जाकर जांच करने वाली एनएचआरसी की अन्वेषण टीम ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार को 'नाता प्रथा' की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

इसके बाद 23 जनवरी, 2020 को आयोग ने राजस्थान में लड़कियों को बेचे जाने के मामले की विस्तृत जांच करने हेतु अपने विशेष प्रतिवेदक को नियुक्त किया। उन्होंने इस सामाजिक बुराई को बहुआयामी रणनीति के माध्यम से दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि इस प्रकार की घटना मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने इस संबंध में उपाय सुझाने के लिए मामले को अनुसंधान प्रभाग को भी भेजा।

अनुसंधान विंग ने मामले का अवलोकन किया और निष्कर्ष दिया कि 'नाता प्रथा' वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के समान है। विभिन्न उपायों के साथ, इसने सुझाव दिया कि कानून बनाने के अलावा, महिलाओं को 'नाता प्रथा' के लिए मजबूर करने वाले व्यक्तियों पर मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस खतरे को रोकने के लिए पाक्सो अधिनियम के सम्बंधित प्रावधान के तहत नाबालिग लड़कियों को बेचने के संदर्भ में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसने लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने और शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के अलावा 'नाता प्रथा' के मामलों को दर्ज करने के लिए गाँव स्तर पर एक बोर्ड या समूह बनाने का भी सुझाव दिया।

आयोग ने 18 मार्च, 2024 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ ये जानकारी साझा की, उनका भी यही मत था कि 'नाता प्रथा' महिलाओं के लिए अपमानजनक है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

कौन था अजय, जिसके एनकाउंटर पर घिरी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल... NHRC ने भेज दिया नोटिस

https://navbharattimes.indiatimes.com/crime/who-was-ajay-on-whose-encounter-nhrc-sent-notice-to-delhi-police-special-cell/articleshow/110768714.cms

नई दिल्ली: 16 मई की रात देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में हुई अजय नाम के शख्स की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 24 वर्षीय अजय की मौत पुलिस मुठभेड़ में हुई थी और आरोप लग रहे हैं कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। इस मामले को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने 6 हफ्ते के भीतर इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिपोर्ट मांगी है। आखिर कौन था ये अजय, जिसकी मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार तक पहुंच गया है।

हरियाणा के रोहतक में रिटोली गांव के रहने वाले अजय को गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया का पड़ोसी बताया जाता था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि अजय हरियाणा में हुई एक हत्या के अलावा पश्चिमी दिल्ली में सेकेंड हैंड कार डीलर की दुकान पर गोलीबारी की घटना में भी शामिल था। अजय की मौत के बाद भाऊ और उसके साथियों ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक बयान जारी किया था। बयान में आरोप लगाया गया कि ये मुठभेड़ फर्जी थी और अजय की हत्या की गई है।

मुठभेड़ में शामिल थी काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट

ये मुठभेड़ दिल्ली में रोहिणी इलाके के सेक्टर 29 में एक सुनसान जगह पर हुई थी और इसमें काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थी। यूनिट में एडिशनल डीसीपी मनीषी चंद्रा, एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर निशांत दहिया और कुछ अन्य पुलिसकर्मी थे। मुठभेड़ के बाद स्पेशल कमिश्नर आरपी उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे थे। वहीं, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की निगरानी में इस मामले की जांच चल रही है। एनएचआरसी ने अजय की मौत को लेकर डीसीपी (आउटर-नॉर्थ) और जिला मजिस्ट्रेट (नॉर्थ-वेस्ट) को नोटिस भेजा है। ये दोनों ही इस मामले की अपनी-अपनी अलग जांच कर रहे हैं।

क्या है स्पेशल सेल के ऊपर आरोप

अजय की मौत पर उस वक्त विवाद खड़ा हुआ, जब आरोप लगाया गया कि उसे राजस्थान के माउंट आबू से स्पेशल सेल की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के पुलिसकर्मियों ने अगवा किया है। आरोपों में कहा गया कि अजय को उत्तर-पश्चिम दिल्ली में एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले शराब पिलाई गई और फिर गोली मार दी गई। वहीं, स्पेशल सेल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। स्पेशल सेल का कहना है कि मुठभेड़ असली थी और पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

एनएचआरसी ने क्या क्या दस्तावेज मांगे

सूत्रों का कहना है कि एनएचआरसी ने जनरल डायरी में एंट्री से जुड़े वो सारे रिकॉर्ड मांगे हैं, जिनमें मुठभेड़ से पहले और बाद में पुलिसकर्मियों के आने-जाने के समय की डिटेल है। इसके अलावा मुठभेड़ में घायल बताए गए पुलिसकर्मियों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, 'एनएचआरसी ने घटनास्थल का साइट प्लान, मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों और

मृतकों की स्थिति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित जांच रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग भी जमा करनी होगी। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है।

NHRC takes serious view of 'Nata Pratha', issues notice to 4 states

https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-takes-serious-view-of-nata-pratha-issues-notice-to-4-states/ar-BB1nJaDB

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to four states—Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. This notice follows a 2020 case in which a father sold his daughter for 2.5 lakhs and later filed a complaint with the commission upon discovering her dead bodyThe NHRC has expressed serious concern over the social practice of Nata Pratha, where girls are sold by their family members under the guise of marriage in parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Gujarat. The commission has requested the Union Ministry of Women and Child Development and the concerned states to present an action taken report within eight weeks.

The statement cites the 2020 case where a father alleged that his daughter was kidnapped in Rajasthan's Salamgarh and found her dead body in Danpur, Banswara. The commission's investigation revealed that the father had sold his daughter for ₹2.5 lakhs under Nata Pratha on July 11, 2019. However, the groom paid only ₹60,000 and failed to pay the remaining amount. The father then bought his daughter back and fixed her Nata to another man for ₹32,000.

The statement further mentions that the girl objected to her father and returned to her husband. She filed a complaint with the SP Banswara, alleging that her father, an alcoholic, had arranged her Nata against her will with multiple men to earn money and had also threatened to kill her

The NHRC highlighted that the police failed to take any action, leading to the girl committing suicide on June 16, 2020, by consuming poison. The father filed a complaint to evade the police complaint filed by his daughter against him.

The commission's investigation division recommended strict action against the father for selling his minor daughter and against the Danpur police personnel for failing to take timely action on the minor's report, which might have prevented her suicide.

The NHRC also stated, "Nata Pratha is comparable to modern forms of prostitution. Nata Pratha must be prosecuted under laws relating to human trafficking and the relevant provisions of the POCSO Act for selling minor girls."

There are arguments over researchers over the true nature of the Nata Pratha, in Rajasthan. Meenu Walter, Associate Professor at SPC Government College Ajmer, Rajasthan, noted in her research titled Nata Pratha: Women's Selection or Women's Exploitation, "Women's consent is never taken or even considered in this custom. The ancient practice was initially for married or widowed men and women but has evolved to include single people as well. Women who go with another man are forced to abandon their children, who later face neglect, and physical and psychological abuse."

AMRIT VICHAR, Online, 7.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मां बनीं महिलाओं को एकांत स्थान पर भेजने पर कर्नाटक सरकार को नोटिस, जानें पूरा मामला

https://www.amritvichar.com/article/471548/notice-to-karnataka-government-on-sending-mothers-who-have-become#gsc.tab=0

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक खबर को लेकर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें तुमकुरु जिले के बिसाडीहल्ली क्षेत्र में हाल में मां बनीं और मासिक धर्म से गुजर रहीं महिलाओं को दूर और एकांत झोपड़ियों में छोड़े जाने का आरोप लगाया गया है।

बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यदि खबर में दी गई जानकारी सही है, तो यह निर्दोष महिलाओं और नवजात शिशुओं के मानवाधिकारों के उल्घन का गंभीर मुद्दा है। बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि तुमकुरु जिले में हाल में सिजेरियन ऑपरेशन कराने वाली 19 वर्षीय को महिला एक दूर और निर्जन इलाके में स्थित झोपड़ी में छोड़ दिया गया है।